अति आवश्यक

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालयः गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228060–61, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : edf-rmsc-rj@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : www.rmsc.nic.in

क्रमांक एफ. 3 ( )/आरएमएससी/वित्त/अन्तिम लेखे 2014–15/4782 दिनांक 27/3/15

प्रभारी अधिकारी
जिला औषधि भण्डार गृह
राजस्थान (समस्त)।

विषयः– जिला औषधि भण्डार गृह के औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स के 31.03.2015 के अन्तिम शेष के भौतिक सत्यापन एवं प्रमाणीकरण बाबत्।

जिला औषधि भण्डार गृह के दिनांक 31.03.2015 के अन्तिम शेष के भौतिक सत्यापन एवं प्रमाणीकरण बाबत् निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैः–

1. भौतिक सत्यापन हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती हैः–
   (i) प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह
   (ii) फार्मासिस्ट प्रथम
   (iii) फार्मासिस्ट द्वितीय
   (iv) आन्तरिक अंकेक्षक का प्रतिनिधि
2. औषधियों का शतप्रतिशत समिति द्वारा भौतिक सत्यापन 31.03.2015 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। दिनांक 29, 30, 31 मार्च, 2015 को जिला औषधि भण्डार को खुला रखा जाए क्योंकि दिनांक 29 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान भौतिक सत्यापन आवश्यक रूप से किया जाना है।
3. चिकित्सा संस्थानों को भी अग्रिम सूचना इस बाबत् दी जाए कि भौतिक सत्यापन कार्यवाही के समय Drugs का वितरण सम्भव नहीं होगा अतः पूर्व में आवश्यकतानुसार Issue ले लेंगे।
4. समिति द्वारा जिला औषधि भण्डार गृह पर आरएमएससी द्वारा आपूर्ति की गई समस्त औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स का बैचवाईज भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के दौरान सही Batch व Expiry का भी सत्यापन किया जाए ताकि इन त्रुटियो को दुरूस्त किया जा सके। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति जिला औषधि भण्डार गृह (DDW) पर रखी जाएगी एवं एक प्रति दिनांक 03.04.2015 तक E-mail से निगम मुख्यालय को अनिवार्य रूप से भिजवाई जाएगी।
5. भौतिक सत्यापन ई–औषधि सॉफ्टवेयर में औषधियों का जो स्टॉक दर्शाया जा रहा है एवं जो वास्तविक रूप से औषधि का स्टॉक DDW पर उपलब्ध, मे यदि कतिपय औषधियो के अन्तर के कारण एवं उसका समाधान प्रभारी जिला औषधि भण्डार गृह द्वारा प्राथमिक रिकार्ड यथा लेखे, स्टॉक रजिस्टर इश्यू रजिस्टर, अन्तर जिला स्थानान्तरण (Inter District Transfer) रजिस्टर, क्यू.सी. रजिस्टर इत्यादि के आधार पर 31.03.2015 तक निगम मुख्यालय के IT Cell को समिति द्वारा हस्ताक्षरित कर ई–मेल प्रेषित करें एवं प्रति निगम मुख्यालय के सप्लाई अनुभाग तथा वित्त अनुभाग को भी दी जाएँ।

6. एक जिले से दूसरे जिले में स्थान्तरित औषधियों की Online सूचना ई–औषधि सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है। अतः भौतिक सत्यापन से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि अन्य DDW से आपके DDW को हस्तान्तरित औषधियों की प्रविष्टी Online S/w में कर दी गई है। किसी भी विसंगति अथवा प्रविष्टि में तकनीकि कठिनाई की दशा में संबंधित OICDDW (जहाँ से हस्तान्तरित की गई है) IT Cell से वार्ता कर निराकरण करते हुए प्रविष्टी करना सुनिश्चित करावें।
7. यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है इसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2014–15 के वार्षिक लेखे भी तैयार किए जाने है अतः निर्धारित समय सीमा 31.03.2015 तक पूर्ण नहीं होने को गम्भीरता से लिया जाएगा।
8. **जो औषधियाँ आपूर्ति अवधि के दो गुणा अवधि के उपरान्त भौतिक रूप से प्राप्त की गई है लेकिन ई–औषधि सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि नहीं है उनको भौतिक सत्यापन में सम्मलित नहीं किया जाना है क्योंकि इन विलम्ब से प्राप्त औषधियों को संबंधित आपूर्तिकर्ता को लौटाई जानी है।**

उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए।

(नवीन जैन, आई.ए.एस)
प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी एवं
पदेन शासन विशिष्ट सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व अध्यक्ष, आरएमएससी, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी (आपूर्ति) / कार्यकारी निदेशक (F/P/L/QC/EPM), आरएमएससी, जयपुर
3. आन्तरिक अंकेक्षक समस्त को भेजकर लेख है कि उक्त भौतिक सत्यापन के समय प्रत्येक जिला औषधि भण्डार गृह (DDW) पर जिसका आन्तरिक अंकेक्षण आपकी जिम्मेदारी पर आप / आपका अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन का कार्य कराएँ।
4. सहायक महाप्रबन्धक (IT), आरएमएससी, जयपुर को निगम वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. रक्षित पत्रावली।

(मेवाराम जाट)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)